भारतीय म
य-े अिधिनयम,1897

(1897 का अिधिनयम सं यांक 4)[1]

[4 फरवरी,1897]

[2]*** म
य-े से संबंिधत कितपय मामल के
िलए उपब ध करने हेतु
अिधिनयम

म य-े से संबंिधत कितपय मामल के िलए उपब ध करना समीचीन है;

अत: एतद् "ारा िन# निलिखत %प म& यह अिधिनयिमत 'कया जाता है :—

1. नाम और िव
तार—(1) इस अिधिनयम का संि* त नाम भारतीय म य-े अिधिनयम, 1897 है ।

(2) इसका िव तार[3][उन रा. ये] के िसवाय [4]*** स# पूण1 भारत पर है [3][जो 1956 के नव# बर क3 पहली तारीख के ठीक पूव1 भाग 'ख' रा. य म& समािव6 ट थे । [5]***

[5]* * * * *

2. अ य म
य-े िविधय के अनुपूरक $प म% अिधिनयम का पढ़ा जाना—[6]साधारण ख9 ड अिधिनयम, 1887 (1887 का 1)क3 धारा 8 तथा 10 के उपब ध के अधीन रहते ;ए, [4]*** [7][िजन रा. ये पर इस अिधिनयम का िव तार है] उनम& म य-े से संबंिधत त समय <वृ> 'कसी अ य अिधिनयिमित[8] के अनुपूरक %प म& इस अिधिनयम को पढ़ा जाएगा ।

3. प(रभाषाएं—इस अिधिनयम म& जब तक 'क िवषय या संदभ1 म& कोई िवCD बात न हो,—

(1) "म य" के अ तग1त जलीय कवच <ाणी भी है;

(2) "ि थर उपकरण" से म य पकड़ने के िलए भूिम म& ि थर या 'कसी अ य<कार से िनF चल 'कया ;आ जाल, Hपजर, पाश या अ य<युिJ त अिभ<ेत है; और

(3) "िनजी जल-े " से ऐसा जल-े अिभ<ेत है, जो अन यत: 'कसी M यिJ त क3 संपि> हैया िजसम& 'कसी M यिJ त का त समय म य पकड़ने का अन यत: अिधकार है चाहे वह वामी के %प म&, पN्ेदार के %प म& या 'कसी अ यहैिसयत म& हो ।

प* टीकरण—इस पOरभाषा के अथ1 म&, केवल इस कारण 'क अ यM यिJ तय का उस जल-े म& म य पकड़ने का %'ढ़ के आधार पर अिधकार है, उसका "िनजी जल-े " होना समा* त नहP हो जाएगा ।

4. अ तद.शीय जल-े म% और तट पर िव फोटक से म य का नाश—(1) य'द कोई M यिJ त'कसी जल-े म& म य पकड़ने या न6 ट करने के आशय से कोई डायनेमाइट या अ य िव फोटक पदाथ1 को <योग म& लाता है तो वह कारावास से, िजसक3 अविध दो मास तक क3 हो सकेगी, या जुमा1ने से, जो दो सौ Cपए तक का हो सकेगा, द9 डनीय होगा ।

[1] यह अिधिनयम :—
(1) 1965 के िविनयम सं० 8 क3 धारा 3 और अनुसूची "ारा (1-10-1967 से) ल"ीप पर,
(2)1962 के िविनयम सं० 12 क3 धारा 3 और अनुसूची "ारा गोवा, दमण और दीव पर
(3)1963 के िविनयम सं० 7 क3 धारा 3 और अनुसूची "ारा (1-10-1963 से) पांिडचेरी पर,
िव ताOरत 'कया गया ।
यह अिधिनयम िन# निलिखत पर लागू होने से िनरिसत 'कया गया :—
(1) मT य<ा त और बरार म य-े अिधिनयम, 1948 (1948 का मT य<ा त और बरार अिधिनयम सं० 8)"ारा मT य<देश पर,
(2)1955 के मैसूर अिधिनयम सं० 14"ारा बेU लारी िजले पर,
(3) 1961 के महारा6 V अिधिनयम सं० 1"ारा मु# बई े पर ।
[2]िविध अनुकूलन आदेश,1950"ारा "<ा त म&" शW द का लोप 'कया गया ।
[3]िविध अनुकूलन (सं० 2) आदेश,1956"ारा "भाग ख रा. य" के थान पर <ित थािपत ।
[4]भारत शासन (भारतीय िविध अनुकूलन) आदेश,1937"ारा "बमा1 के िसवाय" शW द िनरिसत ।
[5] 1914 के अिधिनयम सं० 10 क3 धारा 3 और अनुसूची 2"ारा उपधारा (2) केअंत म& आने वाला शW द"और" और उपधारा (1) िनरिसत ।
[6]अब साधारण ख9 ड अिधिनयम,1897 (1897 का 10) क3 धारा 4 और 26 देिखए ।
[7]िविध अनुकूलन (सं० 2) आदेश,1956"ारा "भाग क रा. य या भाग ख रा. य" के थान पर <ित थािपत ।

8म य-े से संबंिधत िविध के िलए—

(1) असम म&, देिखए असम भूिम और राज व िविनयम,1886(1886 का 1) क3 धारा 16 और धारा 155;

(2) बंगाल और असम (िनजी म य-े) म& देिखए, िनजी म य संरण अिधिनयम,1889 (1889 का बंगाल अिधिनयम 2);

(3) नीलिगOर िजले म& जलवायु के अनुकूल म य के िवषय म&, देिखए नीलिगOर खेल और म य पOररण अिधिनयम,1879 (1879 का मX◌ास अिधिनयम सं० 2);

(4) पंजाब म&, देिखए पंजाब म य-े अिधिनयम,1914 (1914 का पंजाब अिधिनयम सं० 2) ।

(2) उपधारा (1) म&,"जल-े " म& समुX तट से एक समुX◌ीय लीग क3 दूरी के भीतर का समुX अ तYव6 ट है और उस उपधारा के अधीन ऐसे समुX म& 'कए गए अपराध का िवचारण 'कया जा सकेगा, उसके िलए द9 ड'दया जा सकेगा, और सभी मामल म& उसके संबंध म& ऐसी काय1वाही क3 जा सकेगी मानो वह ऐसे तट से लगी ;ई भूिम पर 'कया गया हो ।

5. जल-े को िवषा1 त करने से म
य का नाश—(1) य'द कोईM यिJ त'कसी जल-े म&, म य पकड़ने या न6 ट करने के आशय से कोई िवष, चूना या अपायकर पदाथ1 डालता है तो वह कारावास से, िजसक3 अविध दो मास तक क3 हो सकेगी, या जुमा1ने से,जो दो सौ Cपए तक का हो सकेगा, द9 डनीय होगा ।

(2) रा. य सरकार, राजप म& अिधसूचना "◌ारा,'कसी िविनZद6 टे म& इस धारा का <वत1न िनिल# बत कर सकेगी और वैसी ही रीित से 'कसी ऐसी अिधसूचना को उपा तOरत या र[कर सकेगी ।

6. चुने गए जल-े म% रा4 य सरकार के िनयम 5◌ारा म
य का संरण—(1) रा. य सरकार, इस धारा म&, इसम& इसके पF चात् वYणत <योजन के िलए िनयम1 बना सकेगी और राजप म& अिधसूचना "◌ारा ऐसे जल-े को, जो िनजी जल-े नहP ह\, ऐसे सभी िनयम को या उनम& से 'कसी िनयम को लागू कर सकेगी, जैसा रा. य सरकार उJ त अिधसूचना म& िविनZद6 ट करे ।

(2) रा. य सरकार वैसी ही अिधसूचना "◌ारा ऐसे िनयम को या उनम& से 'कसी िनयम को 'कसी िनजी जल-े को भी उसके वामी क3 और त समय उसम& म य पकड़ने का अन यत: अिधकार रखने वाले सभी M यिJ तय क3 िलिखत स# मित से लागू कर सकेगी ।

(3) ऐसे िनयम िन# निलिखत मामल म& से सभी या उनम& से 'कसी मामले को <ितिषD या िविनयिमत कर सक& गे, अथा1त् :—

(क) ि थर उपकरण का लगाना तथा उपयोग,

(ख) िवयर बनाना, तथा

(ग) उपयोग 'कए जाने वाले जाल क3 ल# बाई-चौड़ाई तथा <कार और उनके उपयोग के ढंग ।

(4) ऐसे िनयम 'कसी िविनZद6 ट जल-े म& दो वष1 से अनिधक क3 कालाविध के िलए सभी म य पकड़ने का काय1 भी <ितिषD कर सक&गे ।

(5) इस धारा के अधीन िनयम बनाने म& रा. य सरकार—

(क) िनदेश दे सकेगी 'क िनयम का भंग जुमा1ने से, जो एक सौ Cपए तक का हो सकेगा, और जहां 'क भंग जारी रहता है, वहां ऐसे अितOरJ त जुमा1ने से, जो <थम दोषिसिD क3 तारीख के पF चात्, ऐसे < येक 'दन के िलए, िजसके दौरान भंग जारी रखा जाना सािबत ;आ है, दस Cपए तक का हो सकेगा, द9 डनीय होगा, तथा

(ख)(i) िनयम के उU लंघन म& लगाए गए या <युJ त ि थर उपकरण या <युJ त जाल के अिभ_हण, समपहरण तथा हटाने के िलए, और

(ii)'कसी ऐसे ि थर उपकरण या जाल के माT यम से िनकाले गए म य के समपहरण के िलए,

उपब ध कर सकेगी ।

(6) इस धारा के अधीन िनयम बनाने क3 शिJ त इस शत1 के अधीन है 'क वे पूव1 <काशन के पF चात् बनाए जाएंगे ।

7. इस अिधिनयम के अधीन 7कए गए अपराध के िलए िबना वार8 ट िगर9तारी—(1) कोई पुिलस आ'फसर या रा. य सरकार "◌ारा इस िनिम> या तो नाम से या त समय कोई पद धारण करने वाले के %प म& िवशेष %प से सशJ त2 अ यM यिJ त, मिज V◌ेट के आदेश के िबना तथा वार9 ट के िबना धारा 4 या 5 के अधीन या धारा 6 के अधीन बनाए गए 'कसी िनयम के अधीन द9 डनीय 'कसी अपराध के अपने सामने करने वाले 'कसी M यिJ त को िगर`तार कर सकेगा—

(क) य'द उस M यिJ त का नाम तथा पता उसको a◌ात नहP है, और

(ख) य'द वह M यिJ त अपना नाम और पता देने से इ कार करता है या य'द'दया गया नाम या पता सही होने म& संदेह के िलए कारण है ।

(2) इस धारा के अधीन िगर`तार 'कए गए M यिJ त को तब तक िनCD रखा जा सकेगा जब तक उसका नाम और पता सही %प से अिभिनिF चत नहP कर िलया जाता :

पर तु इस <कार िगर`तार 'कए गए 'कसी भी M यिJ त को, उससे अिधक समय तक िनCD नहP रखा जाएगा, जो उसे मिज V◌ेट के सम ले जाने के िलए आवF यक हो, िसवाय तब जब 'क मिज V◌ेट "◌ारा िनCD रखने क3 आa◌ा दी गई हो ।

---

[1]धारा 6 के अधीन िनयम के िलए, देिखए िविभ न थानीय िनयम और आदेश ।

[2]मX◌ास म& इस धारा के अधीन अिधसूचनाb के िलए देिखए फोट1 स\ट जाज1 गजट,1903, भाग 1, पृ० 19 ।